

आई सी एम आर – राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

Dated: 04.12.2024

No.1/Admin/परिपत्र /2024-25/ **३० £7**

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: छुट्टी के आवेदन के लिए ईमेल सूचना के साथ ई-लीव मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग

कर्मचारियों द्वारा छुट्टी जमा करने और ऐसी छुट्टी के लिए संलग्न/रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा ईमेल सूचना प्राप्त न होने के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए तथा छुट्टी आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के प्रयास में, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी आवेदन जमा करते समय ई-ऑफिस के ई-लीव मॉड्यूल और संलग्न/रिपोर्टिंग अधिकारी को सीसी ईमेल का उपयोग करना अनिवार्य है।

प्रक्रिया:

1. ई-ऑफिस में लॉग इन करें: अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके ई-ऑफिस पोर्टल पर पहुँचें।

2. ई-लीव मॉड्यूल पर जाएँ: पोर्टल के भीतर ई-लीव मॉड्यूल का पता लगाएँ।

3. छुट्टी आवेदन जमा करें: अपना छुट्टी आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

4. अनिवार्य सीसी ईमेल अधिसूचनाः ई-अवकाश आवेदन के अलावा, कर्मचारियों को अपने अवकाश आवेदन के बारे में ईमेल सूचना के लिए संलग्न/रिपोर्टिंग अधिकारी के पते पर अनिवार्य रूप से सीसी मेल भरना चाहिए और अपने तत्काल लिंक/संलग्न या रिपोर्टिंग अधिकारी को मौखिक रूप से भी सूचित करना चाहिए।

अनुपालन:

यहाँ यह दोहराया जाता है कि छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जाता है, इसे कुछ अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी लेने के लिए प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

इस निर्देश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जा सकती या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह तत्काल प्रभावी होता है

> (राहुल वाधवानी) प्रशासनिक अधिकारी

प्रति/सेवा में:

सभी स्थायी कर्मचारी नोटिस बोर्ड के माध्यम से

सीसी

डॉ. एल. के. शर्मा, विज्ञान "ई" और आईटी प्रमुख: वेबसाइट पर ऑनलाइन परिपत्र अपडेट करने के अनुरोध के साथ



आई सी एम आर – राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

Dated: 04.12.2024

No.1/Admin/परिपत्र /2024-25/ 2024

परिपत्र/CIRCULAR

Subject: Mandatory Utilization of e-Leave Module along with Email Intimation for Leave Applications

In view of current scenario of leave submission by staff and non-receipt of email intimation by attached/reporting officer for such leave and also in an effort to streamline the leave application process and enhance administrative efficiency, it is mandatory for all Central Government employees to utilize the e-Leave module of e-Office and CC email to attached/reporting officer while submitting leave applications.

Process:

- 1. Login to e-Office: Access the e-Office portal using your credentials.
- 2. Navigate to e-Leave Module: Locate the e-Leave module within the portal.
- 3. **Submit Leave Application:** Follow the on-screen instructions to submit your leave application online.
- 4. **Mandatory CC Email Notification:** In addition to the e-Leave application, staff should fill mandatorily CC mail to address of attached/reporting officer for email intimation about their leave application and also inform verbally to their immediate linked/attached or reporting officer.

Compliance:

It is reiterated here that leave is not claimed as matter of right, it should be previously approved by authority for taking leave except in certain compelling circumstances.

Strict adherence to this directive is mandatory. Failure to comply may result in non-approval of leave or other administrative actions.

This has approval of the competent authority and takes immediate effect.

(Rahul Wadhwani) Admin. Officer

To:

All permanent staff through notice board

CC:

Dr. L. K. Sharma, Sci "E" and Head of IT: with request for online circular update on website.